भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 52

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयला गैसीकरण के लक्ष्य

52. **श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू की गई या वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं सहित वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 'सरफेस कोल गैसीकरण' (सतही कोयला गैसीकरण) में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन ढांचे को और सुदृढ़ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के हिस्से के रूप में कोयले से रसायन, मेथनॉल और कृत्रिम प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन अतिरिक्त उपायों की परिकल्पना की गई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (एमटी) कोयला गैसीकरण क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। आज की स्थिति के अनुसार, लगभग 22.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) कोयला गैसीकरण क्षमता प्रचालनरत है अथवा कार्यान्वयनाधीन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल) : ~8 एमटीपीए (प्रचालनरत)

(ii) तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) ~2.6 एमटीपीए (कार्यान्वयनाधीन)

(iii) 8,500 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित 8 परियोजनाएं : ~12 एमटीपीए (कार्यान्वयनाधीन)

100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे प्रगति करने के लिए, सरकार ने दिनांक 13.05.2026 को 37,500 रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक और स्कीम को मंजूरी दी है। नई स्कीम से लगभग 75 एमटीपीए कोयले का उपयोग होने की अपेक्षा है और इस प्रकार 100 मि.ट. कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

(ख) और (ग) : सरकार ने कोयला गैसीकरण में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में अनुमोदित स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन ढांचे को सुदृढ़ किया है। दिनांक 24.01.2024 को स्वीकृत 8500 करोड़ रुपये की पिछली स्कीम के तहत, पात्र वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित सीमा के अधीन कैपेक्स का 15 प्रतिशत की दर पर था, जबकि 37,500 करोड़ रुपये की नई स्कीम कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संस्थापना के लिए निर्धारित सीमा के अधीन पात्र संयंत्र और मशीनरी लागत के 20 प्रतिशत तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

सरकार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, कोयले की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर, नियामक सहायता को मजबूत करके, अनुमोदन को सरल बनाकर, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और इस प्रकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक सक्षम नीतिगत ढांचा तैयार करके कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयले से रसायन, मेथनॉल और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
